

तक़लीद^[1] के अहकाम

हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह ऊसूले दीन को अक़ल के ज़रिये समझे क्योंकि ऊसूले दीन में किसी भी हालत में तक़लीद नहीं की जा सकती, यानी यह नहीं हो सकता कि कोई इंसान ऊसूले दीन में किसी की बात सिर्फ़ इस लिए माने कि वह ऊसूले दीन को जानता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों पर यकीन रखता हो और उनको ज़ाहिर भी करता हो तो चाहे उसका यह इज़हार उसकी बसीरत की वजह से न हो तब भी वह मुसलमान और मोमिन है। लिहाज़ा इस मुसलमान पर इस्लाम और ईमान के तमाम अहकाम जारी होंगे। लेकिन “मुसल्लमाते दीन”^[2] को छोड़ कर दीन के बाक़ी अहकाम में ज़रूरी है कि या तो इंसान खुद मुजतहिद हो, (यानी अहकाम को दलील के ज़रिये खुद हासिल करे) या किसी मुजतहिद की तक़लीद करे या फिर एहतियात के ज़रिये इस तरह अमल करे कि उसे यह यकीन हासिल हो जाये कि उसने अपनी शरई जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। मसलन अगर चन्द मुजतहिद किसी काम को हराम करार दें और चन्द दूसरे मुजतहिद कहें कि हराम नहीं है तो उस काम को अंजाम न दे, और अगर कुछ मुजतहिद किसी काम को वाजिब और कुछ मुसतहब माने तो उस काम को अंजाम दे। लिहाज़ा जो शख्स न तो खुद मुजतहिद हो और न ही एहतियात पर अमल कर सकता हो उस पर वाजिब है कि किसी मुजतहिद की तक़लीद करे।

(म.न. 2) दीनी अहकाम में तक़लीद का मतलब यह है कि किसी मुजतहिद के फ़तवे पर अमल किया जाये। और यह भी ज़रूरी है कि जिस मुजतहिद की तक़लीद की जाये वह मर्द, आक़िल, बालिग, शिया इस्ना अशरी, हलाल जादा, ज़िन्दा और आदिल हो। आदिल उस शख्स को कहा जाता है जो तमाम वाजिब कामों अंजाम देता हो और तमाम हराम कामों को तर्क करता हो और आदिल होने की निशानी यह है कि वह जाहेरन एक अच्छा शख्स हो और अगर उसके महल्ले वालों या पड़ोसीयो या उसके साथ उठने बैठने वालों से उसके बारे में पूछा जाये तो वह उसकी अच्छाई की तसदीक करें।

अगर इस बात का थोड़ा सा भी इल्म हो कि दर पेश मसाइल में मुजतहिदों के फ़तवे एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं तो ज़रूरी है कि उस मुजतहिद की तक़लीद की जाये जो “आलम” हो यानी अपने ज़माने के दूसरे मुजतहिदों के मुकाबले में अहकामें इलाही को समझने की ज़्यादा सलाहियत रखता हो। से

[1] किसी मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करना।

[2] वह ज़रूरी और कतई अमूर जो दीने इस्लाम के ऐसे जुज हैं जिनको अलग नहीं किया जाकता और जिन्हे तमाम मुसलमान दीन का लीज़मी जुज मानते हैं जैसे नमाज़, रोज़े का फ़र्ज़ और उनका वाजिब होना। इन अमूर को ज़रूरियाते दीन और कतईयाते दीन भी कहते हैं। क्योंकि यह वह अमूर हैं जिनका तस्लीम करना दायर-ए- इस्लाम में रहने के लिए ज़रूरी है।

(म.न. 3) मुजतहिद और आलम की पहचान के तीन तरीके हैं।

- क- इंसान खुद साहिबे इल्म हो और मुजतहिद व आलम को पहचान ने की सलाहियत रखता हो।
- ख- दो ऐसे शख्स जो आलिम व आदिल हों और मुजतहिद व आलम के पहचान ने का मलका भी रखते हों अगर किसी के आलम व मुजतहिद होने की तस्दीक करें इस शर्त के साथ कि दूसरे दो आलिम व आदिल शख्स उनकी बात की काट न करे। और किसी का आलम व मुजतहिद होना एक काबिले एतेमाद शख्स की गवाही से भी साबित हो जाता है।
- ग- कुछ आलिम अफ़राद (अहले खुबरा) जो मुजतहिद और आलम को पहचान ने की सलाहियत रखते हों, किसी के आलम व मुजतहिद होने की तसदीक करें और उनकी तसदीक से इंसान मुतमइन हो जाये।

* (म.न. 4) अगर दर पेश मसाइल में दो या दो से ज़्यादा मुजतहिदों के इख़्तलाफ़ी फ़तवे मुख़तसर तौर पर मालूम हों और बाज़ के मुकाबिल बाज़ का आलम होना भी इल्म में हो लेकिन अगर आलम की पहचान आसान न हो तो अहवत ^[3] यह है कि इंसान तमाम मसाइल में उनके फ़तवों जितना हो सके एहतियात करे। (यह मसला बहुत तफ़सीली है और यह इसके बयान का मक़ाम नहीं है।) और इस ऐसी सूरत में जबकि एहतियात मुमकिन न हो तो ज़रूरी है कि उस मुजतहिद के फ़तवे के मुताबिक़ अमल करे जिसके आलम होने का एहतेमाल दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा हो। और अगर दोनों के आलम होने का एहतेमाल बराबर है तो फ़िर इख़्तियार है। (जिसके फ़तवे पर चाहे अमल करे।)

(म.न. 5) किसी मुजतहिद के फ़तवे को जानने के चार तरीके हैं।

- क- खुद मुजतहिद से उनका फ़तवा सुने।
- ख- दो ऐसे आदिल अशखास से सुनना जो मुजतहिद का फ़तवा बयान करें।
- ग- मुजतहिद के फ़तवे को किसी ऐसे शख्स से सुनना जिस की बात पर इतमिनान हो।
- घ- मुजतहिद की किताब (मसलन तौज़ीहुल मसाइल) में पढ़ना एस शर्त के साथ कि उस किताब के सही होने के बारे में इतमिनान हो।

(म.न. 6) जब तक इंसान को मुजतहिद के फ़तवे के बदले जाने का यक़ीन न हो जाये किताब में लिखे फ़तवे पर अमल कर सकता है और अगर फ़तवे के बदले जाने का एहतेमाल पाया जाता हो तो छान बीन करना ज़रूरी नहीं है।

[3] एहतियात के मुताबिक

तकलीद का परिचय : संक्षेप में

(म.न. 7) अगर मुजतहिदे आलम कोई फ़तवा दे तो उनका मुक़ल्लिद ^[4] इस मसले के बारे में किसी दूसरे मुजतहिद के फ़तवे पर अमल नहीं कर सकता। जब तक वह मुजतहिदेव आलम फ़तवा न दे बल्कि यह न कहे कि एहतियात इसमें है कि यँ अमल किया जाये मसलन एहतियात ^[5] इसमें है कि नमाज़ की पहली और दूसरी रकअत में सूरा अलहम्द के बाद एक और पूरी सूरा पढ़े, तो मुक़ल्लिद को चाहिए कि या तो इस एहतियात पर जिसे एहतियाते वाजिब ^[6] कहते हैं अमल करे या किसी दूसरे ऐसे मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करे जिसकी तकलीद जायज़ हो। बस अगर वह (दूसरा मुजतहिद) फ़क़त सूरा अलहम्द को काफ़ी समझता है तो दूसरे सूरा को छोड़ सकता है। जब मुजतहिदे आलम किसी मसले के बारे में कहे कि महल्ले ताम्मुल ^[7] या महल्ले इशकाल ^[8] है तो उसका हुक्म भी यही है।

(म.न. 8) अगर मुजतहिदे आलम किसी मसले के बारे में फ़तवा देने के बाद या इस से पहले एहतियात लगाये मसलन यह कहे कि नजिस बरतन कुर पीनी में एक मर्तबा धोने से पाक हो जाता है अगरचे एहतियात यह है कि तीन बार धोया जाये तो मुक़ल्लिद ऐसी एहतियात को छोड़ सकता है। इस क्रिस्म की एहतियात को एहतियाते मुस्तहब ^[9] कहते हैं।

* (म.न. 9) इंसान जिस मुजतहिद की तकलीद करता है अगर वह मर जाये तो जो हुक्म उसकी ज़िन्दगी में था वही हुक्म उसके मरने के बाद भी है। इस बिना पर अगर मरहूम मुजतहिद, ज़िन्दा मुजतहिद के मुक़ाबिल में आलम था तो वह शख्स जिसे दर पेश मसाइल में दोनों मुजतहिदों के दरमियान के इख़तलाफ़ का अगर इजमाली तौर पर भी इल्म हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि मरहूम मुजतहिद की तकलीद पर बाक़ी रहे। और अगर ज़िन्दा मुजतहिद आलम हो तो फिर ज़िन्दा मुजतहिद की तरफ़ रुजूअ करना ज़रूरी है। इस मसले में तकलीद से मुराद मुऐयन मुजतहिद के फ़तवे की पैरवी करने (क़स्दे रुजूअ) को सिर्फ़ अपने लिए लाज़िम करार देना है न कि उसके हुक्म के मुताबिक़ अमल करना।

(म.न. 10) अगर कोई शख्स किसी मसले में एक मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करे, फिर उस मुजतहिद के मर जाने के बाद वह उसी में ज़िन्दा मुजतहिद के फ़तवे पर अमल कर ले तो अब उसे इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह दुबारा मरहूम मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करे।

[4] तकलीद करने वाला

[5] अमल का वह तरीका जिससे “अमल” के मुताबिके वाक़ेअ होने का यकीन हासिल हो जाये।

[6] वह हुक्म जो एहतियात के मुताबिक़ हो और फ़कीह ने उसके साथछ फ़तवा न दिया हो, ऐसे मसाइल में मुक़ल्लिद उस मुजतहिद की तकलीद कर सकता है जो आलम के बाद इल्म में सबसे बढ़ कर हो।

[7] एहतियात करना चाहिए (मुक़ल्लिद इस मसले में दूसरे मुजतहिद की तरफ़ रुजूअ (सम्पर्क) कर सकता है इस शर्त के साथ कि मिजतहिद ने एहतियात के साथ फ़तवा न दिया हो।)

[8] इस में इशकाल है यानी इस अमल का सही और कामिल होना मुशिकल है। (मुक़ल्लिद इस मसले में किसी दूसरे मुजतहिद की तरफ़ रुजूअ कर सकता है। इस शर्त के साथ कि मुजतहिद ने फ़तवा न दिया हो)

[9] फ़तवे के अलावा एहतियात इस लिए इस पर अमल ज़रूरी नहीं होता।

तकलीद का परिचय : संक्षेप में

(म.न. 11) जो मसाइल इंसान को अक्सर पेश आते हैं उनको याद करना वाजिब है।

* (म.न. 12) अगर किसी शख्स के सामने कोई ऐलसा मसला पेश आजाये जिसका हुक्म उसे मालूम न हो तो उसके लिए लाज़िम है कि एहतियात करे या उन शर्तों के साथ तकलीद करे जिन जिक्र ऊपर हो चुका है। लेकिन अगर उसे इस मसले में आलम के फ़तवे का इल्म न हो और आलम व ग़ैरे आलम की राय के मुख्तलिफ़ होने का थोड़ा इल्म भी हो तो ग़ैरे आलम की तकलीद जायज़ है।

* (म.न. 13) अगर कोई शख्स किसी मुजतहिद का फ़तवा किसी दूसरे शख्स को बताये और इसके बाद मुजतहिद अपने फ़तवे को बदल दे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह उस शख्स को फ़तवे के बदले जाने के बारे में आगाह करे। लेकिन अगर फ़तवा बताने के बाद यह महसूस करे कि (शायद फ़तवा बताने में) ग़लती हो गई है और अगर इस बात का अंदेशा हो कि इस इत्तला की बिना पर वह शख्स अपनी शरई जिम्मेदारी के खिलाफ़ अमल अंजाम देगा तो एहतियाते लाज़िम[10] की बिना पर जहाँ तक हो सके उस ग़लती को दूर करे।

(म.न. 14) अगर कोई मुकल्लफ़[11] एक मुद्दत तक किसी की तकलीद किये बिना आमाल अंजाम देता रहे लेकिन बाद में किसी मुजतहिद की तकलीद कर ले तो इस सूरत में अगर मुजतहिद उसके गुज़िश्ता आमाल के बारे में हुक्म लगाये कि वह सही है तो वह सही तसव्वुर किये जायेंगे वरना बातिल शुमार होंगे।

[10] एहतियाते वाजिब का दूसरा नाम।

[11] वह शख्स जिस पर शरई तकलीफ़ लागू हों।